तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /सीलिंग/2382/2005/हनुमानगढ** **धापा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री एस0पी0 सिंह, अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से।
(2) श्री शिशिर विजयवर्गीय, उप0 राजकीय अधिवक्ता,

निर्णय

दिनांकः–04.06.2025

1– उक्त अपील अन्तर्गत धारा 23 (2) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 29/04 में पारित निर्णय दिनांक 09–05–2005 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2– विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीलिंग रावतसर ने सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 10 व 11 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करकके तहसीलदार उपनिवेशन, रावतसर से अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पो0 बेगाराम आदि द्वारा दिनांक 01–01–73 को धारण की जाने वाली भूमि की रिपोर्ट दिनांक 10–08–2003 को प्राप्त की, जिसके अनुसार खिराज (जिसके वारिसान मु0 धापा अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 7 है) 1/2 हिस्सा एवं बेगाराम, भागीरथ, सरदार (तरतीबी रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4) 1/2 हिस्सा तथा इनके खातेदारी में कुल 54 बीघा कमाण्ड भूमि तथा 118.08 बीघा अनकमाण्ड भूमि होना माना, जिसके अनुसार खिराज के खातेदारी में कुल 27 बीघा कमाण्ड भूमि तथा 58 बीघा 15 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि मान करके कुल 56 बीघा 13 बिस्वा कमाण्ड भूमि धारण करना माना तथा अपीलाण्ट मु0 धापा आदि को 1 यूनिट बराबर 43.04 कमाण्ड भूमि रखने का अधिकारी मानते हुए शेष 13 बीघा 9 बिस्वा कमाण्ड भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दिनांक 30–10–2003 सीलिंग अधिनियम, 1973 में वर्णित कानूनी प्रावधानों के एकदम विपरीत पारित किया गया जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। प्राधिकृत अधिकारी (एस0डी0ओ) सीलिंग, रावतसर ने वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार खिराज के खातेदारी में कुल 27 बीघा कमाण्ड भूमि तथा 58 बीघा 15 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि होना मान करके 1 बीघा कमाण्ड = 2 बीघा अनकमाण्ड भूमि मानते हुए कुल 56 बीघा 13 बिस्वा कमाण्ड भूमि मानी एवं 1 यूनिट = 43.04 बीघा कमाण्ड भूमि रखने का अधिकारी मान करके शेष 13 बीघा 9 बिस्वा कमाण्ड भूमि को अधिग्रहण करने का एकदम मनमाना आदेश दिनांक 30–10–2003 को पारित किया, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि हनुमानगढ जिला सेमी डेजर्ट जोन में आता है जिसके अनुसार सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 5 (h) के मुताबिक 8 बीघा अनकमाण्ड भूमि = 1 बीघा कमाण्ड होती है। उक्त कानूनी प्रावधान के अनुसार गणना करने पर अपीलाण्ट मु0 धापा आदि द्वारा कुल 34 बीघा कमाण्ड भूमि ही धारित है जो कि सीलिंग सीमा से बहुत कम है एवं अधिग्रहण करने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /सीलिंग/2382/2005/हनुमानगढ** **धापा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	योगय भूमि ही नहीं थी। हनुमानगढ जिले की रावतसर तहसील में ''इन्टेनसिटी ऑफ वाटर'' 85.4 प्रतिशत है जिसके अनुसार 1 यूनिट लगभग 49 बीघा कमाण्ड भूमि रखने का अधिकारी है। उक्त कानूनी तथ्य के अनुसार भी अपीलाण्ट मु0 धापा आदि के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं थी एवं ना ही कोई अधिग्रहण की जाने योग्य भूमि थी। उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को एकदम नजरअंदाज करके दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने गैर कानूनी आदेश व निर्णय क्रमशः 30–10–2003 व 09–05–2005 पारित किये हैं। मूल सीलिंग प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर की अदालत में दर्ज हुआ था। जहां से प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी (एसडीओ) सीलिंग रावतसर को नया पद सृजित होने से स्थानांतरित किया गया जिसके बाद प्राधृित अधिकारी ने मु0 धापा आदि की सुनवाई किये जाने हेतु सम्मन नोटिस जारी नहीं किये तथा एकतरफा में आदेश दिनांक 30–10–2003 को पारित कर दिया जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के एकदम विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय अति0 जिला कलक्टर नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 29/04 में पारित निर्णय दिनांक 09–05–2005 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) सीलिंग, रावतसर द्वारा प्रकरण संख्या 116/02 में पारित आदेश दिनांक 30–10–2003 को निरस्त किया जाकर सीलिंग अधिनियम की कार्यवाही को समाप्त (ड्रोप) किये जाने के आदेश फरमाये जावें। 4– इसके विपरीत विद्वान उप0 राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाण्टगण के संयुक्त खाते में 54 बीघा भूमि कमाण्ड 42.12 बीघा भूमि अनकमाण्ड तथा 75.18 बीघा भूमि कुल 172.10 बीघा भूमि दर्ज है। अपीलाण्ट के परिवार में दिनांक 06–04–1972 को 24 सदस्य होना अपीलाण्टगण ने बताया था। उक्त 24 सदस्यों में से कितने व्यक्ति बालिग थे एवं कितने नाबालिग थे इसका कोई उल्लेख नहीं किया था। अपीलाण्ट के पास 113.05 बीघा भूमि कमाण्ड भूमि बनती है जो उनके द्वारा धारण की हुई है। अपीलाण्ट के पति खिराज के पास कुल आराजी का 1/2 हिस्सा निहित था जो कुल आराजी में 56.13 बीघा भूमि होती है। उक्त भूमि कमाण्ड भूमि है जो सीलिंग सीमा से अधिक होती है, क्योंकि परिवार में तत्समय एक ही इकाई थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–05–2005 बहाल रखा जावे। 5– हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा पत्रावली पर की गयी बहस पर मनन किया। तहसीलदार रावतसर ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी (सीलिंग) रावतसर के समक्ष राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाण्ट व अन्य के द्वारा अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानानुसार उनके द्वारा विवरण अंकित नहीं किया गया है। उपर्युक्त स्थिति में उन्हें नोटिस देकर कार्यवाही किये जाने का कथन किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी (सीलिंग) रावतसर ने अपने निर्णय दिनांक 30–10–2003 के द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को स्वीकार कर निर्णय पारित किया कि ''खिराज (मृतक) के पास अधिक भूमि होना से राजस्थान कृषि जोत पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के तहत 13.09 बीघा भूमि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /सीलिंग/2382/2005/हनुमानगढ** **धापा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कमाण्डतुल्य भूमि अधिग्रहण की जाती है। तहसीलदार को आदेश दिया जावे की नियमानुसार अप्रार्थीगण से option लेकर अधिग्रहितशुदा भूमि का कब्जा बहक सरकार लेवें।'' न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी (सीलिंग) रावतसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2003 से व्यथित होकर अपीलाण्टगण ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर नोहर के समक्ष प्रथम अपील राजस्थान कृषि जोत पर अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 23 के तहत पेश की जिसे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 09–05–2005 के द्वारा अपीलाण्ट के पास 56–13 बीघा कमाण्ड तुल्य भूमि होना मानते हुए 13–08 बीघा कमाण्डतुल्य भूमि अधिग्रहण किये जाने के आदेश पारित कर प्रस्तुत प्रकरण को तहसीलदार रावतसर के समक्ष प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि वे अधिग्रहित भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09–05–2005 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी पेश की है। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार रावतसर ने दिनांक 10–08–93 को मौका रिपोर्ट पेश की। उक्त रिपोर्ट में दिनांक 26–09–70 से 01–01–73 के बीच कोई भूमि क्रय किया जाना अंकित नहीं किया है। तहसीलदार की रिपोर्ट में अपीलाण्टगण के 24 सदस्य होना अंकित किया था परंतु 24 सदस्यों में कितने पुत्र बालिग थे उनके द्वारा अवगत नहीं करवाया गया। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अपीलाण्टगण के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि थी जिसे अधिग्रहित किये जाने के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अधिग्रहित किये जाने के आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशें से सहमत है और उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है। 6– परिणामतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09–05–2005 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा) सदस्य	